



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22631

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 825 वर्ष 2026

रामजी लाल बघेल

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: राधे श्याम यादव
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी., कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. यह कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही, वाद संख्या 18677 वर्ष 2021 में, प्रत्यर्थी संख्या 4 अर्थात तहसीलदार (न्यायिक), तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। उक्त कार्यवाही में याची द्वारा दिनांक 18.08.2025 को आपति भी प्रस्तुत की गई है।
2. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत उपर्युक्त वाद वर्ष 2021 से ही प्रत्यर्थी संख्या 4 अर्थात तहसीलदार (न्यायिक), तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ के समक्ष विचाराधीन है, तथापि अभी तक उसका निस्तारण नहीं किया गया है, अतः निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्देशित किया जाए कि वह उक्त वाद का शीघ्र निस्तारण करे।
3. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
4. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा न्यायहित में, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 4 अर्थात तहसीलदार (न्यायिक), तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह याची के विरुद्ध लंबित वाद संख्या 18677 वर्ष 2021, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202118020218677 का, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **चार माह** की अवधि के भीतर, यथाशीघ्र एवं अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित करें।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 02 फरवरी, 2026

स्वाति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।